भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4190
दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 को उत्तर के लिए

कुपोषण

4190. श्री जसवंत सिंह सुमनभाई भाभोरः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने गुजरात में बच्चों में कुपोषण के संबंध में कोई समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समीक्षा कब की गई थी और इसके क्या परिणाम रहे हैं; और

(ग) सरकार द्वारा समीक्षा में पाई गई कमियों को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) एवं (ख) : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015-16 में आयोजित एनएफएचएस-4 की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात राज्य में 5 साल से कम आयु के 39.3% बच्चे अल्पवज़नी हैं, 26.4% बच्चे अवरूद्ध विकास वाले हैं और 62.6% बच्चे रक्ताल्पता वाले हैं । तथापि, वर्ष 2016-18 के दौरान आयोजित विस्तृत राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण (सीएनएनएस) की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात राज्य में कुपोषण की व्याप्तता में और कमी आई है अर्थात् 34.2% बच्चे अल्पवज़नी हैं, 17% बच्चे अवरूद्ध विकास वाले हैं और 38.5% बच्चे रक्ताल्पता वाले हैं ।

(ग) : सरकार ने कुपोषण के मुद्दे को उच्च प्राथमिकता दी है और पोषण से संबंधित विभिन्न पहलुओं को संबोधित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की कई स्कीमों/कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रही है । मंत्रालय देश में कुपोषण की समस्या का समाधान करने के लिए प्रत्यक्ष लक्षित हस्तक्षेपों के रूप में अम्ब्रेला समेकित बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) स्कीम के तहत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), आंगनवाड़ी सेवाएं और किशोरियों के लिए स्कीम क्रियान्वित कर रहा है ।

सरकार ने वर्ष 2017-18 से शुरू तीन वर्ष की समयावधि के लिए 18.12.2017 को पोषण अभियान का गठन किया है । पोषण अभियान का लक्ष्य नीचे दिए गए नियत लक्ष्यों के साथ 3 वर्ष की अवधि के दौरान समयबद्ध ढंग से 0-6 वर्ष की आयु वाले बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषणात्मक स्थिति में सुधार हासिल करना है :

क्र.सं.	उद्देश्य	लक्ष्य
1	बच्चों (0-6 वर्ष) में ठिगनेपन का निवारण एवं उसमें कमी लाना	2% प्रतिवर्ष की दर से 6 % तक

2	बच्चों (0-6 वर्ष) में अल्प-पोषण (अल्प वजन की व्याप्तता) का निवारण एवं उसमें कमी लाना	2% प्रतिवर्ष की दर से 6 % तक
3	छोटे बच्चों (6-59 माह) में रक्ताल्पता की व्याप्तता में कमी लाना	3% प्रतिवर्ष की दर से 9 % तक
4	15-49 वर्ष के आयु वर्ग की महिलाओं एवं किशोरियों में रक्ताल्पता की व्याप्तता में कमी लाना	3% प्रतिवर्ष की दर से 9 % तक
5	जन्म के समय अल्प वजन (एलबीडब्ल्यू) में कमी लाना	2% प्रतिवर्ष की दर से 6 % तक

अभियान का लक्ष्य, जीवनचक्र दृष्टिकोण के ज़रिए तालमेल और परिणामोन्मुख दृष्टिकोण अपनाकर देश में कुपोषण को कम करना है । अभियान के तहत समयबद्ध सेवाप्रदायगी और दृढ़ मॉनीटरिंग तथा अंत:क्षेप अवसंरचना की व्यवस्था है । इस अभियान के तहत की जाने वाली प्रमुख गतिविधियों में विभिन्न अन्य कार्यक्रमों के साथ अभिसरण; सेवाप्रदायगी और हस्तक्षेपों को सुदृढ़ करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी समर्थ कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर; पोषण पहलुओं के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए जन आंदोलन निमित सामुदायिक जुटाव एवं जागरुकता एडवोकेसी; अग्रणी कार्यकर्ताओं का क्षमता निर्माण, लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना आदि सुनिश्चित करना है ।

साथ ही, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएन) के तहत कुपोषण का समाधान करने हेतु अन्य बातों के साथ-साथ शिशु एवं छोटे बच्चों के आहार की उपयुक्त प्रथाओं (आईवाईसीएफ) को बढ़ावा देना, एनिमिया मुक्त भारत, आयरन एवं फॉलिक एसिड (आईएफए) संपूरण, डी-वॉर्मिंग, आयोडीन-युक्त नमक को बढ़ावा देना, विटामिन 'ए' संपूरण, बच्चों में प्रतिरक्षण की व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए मिशन इंद्रधनुष, बाल्यावस्था अतिसार को नियंत्रित करने के लिए गहन अतिसार नियंत्रण पखवाड़ा आयोजित करना, पोषण, पुनर्वास केंद्रों पर बीमार, गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों का प्रबंधन, मासिक ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवसों का आयोजन करना, नवजात शिशुओं की गृह-आधारित देखरेख (एचबीएनसी) और छोटे बच्चों की गृह-आधारित देखरेख(एचबीवाईसी) कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि शामिल है ।

*****